20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

55

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

नि0 प्रकरण क्रमांक .... नि.ग – 1407 – II/16 सन् ....

ग्राम पंचायत बरेठी विकास खण्ड राजनगर
जिला छतरपुर (म0प्र0) द्वारा
पूर्व जिला पंचायत सदस्य दंगल सिंह तनय श्री हीरा सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम सतना तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म0प्र0)——————————अपीलार्थी

बनाम

1. हिरवा तनय मुलुवा अहिरवार
2. विन्द्रावन तनय नथुवा अहिरवार
3. चूरामन तनय गडुवा अहिरवार फौत वारिस
   अ. कट्टू वेवा चूरामन अहिरवार
   ब– बडे पिता चूरामन अहिरवार
   स– हल्के पिता चूरामन अहिरवार
4. हरीचरन तनय मुलुवा अहिरवार
5. रामदास तनय मुलुवा अहिरवार
6. चन्ना तनय मुलुवा अहिरवार
7. मथुरा तनय हजारी अहिरवार
8. खंजुवा तनय हजारी अहिरवार फौत वारिस
   अ– कूरा तनय खंजुवा अहिरवार
   ब– सुरेश तनय खंजुवा अहिरवार
   स– राजकुमार पिता खंजुवा अहिरवार
9. प्रभू तनय जमला अहिरवार
10. कल्ला तनय श्री हजरिया अहिरवार
11. गन्सू तनय दरउवा अहिरवार
12. बालादीन तनय बरवा अहिरवार
13. भागीरथ तनय बरवा अहिरवार

अजय श्रीवास्तव (एड.) दि. 4/05/16 को
रीडर ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अजय श्रीवास्तव (एड)
सागर (म.प्र.)

क्रमशः / /2/ /

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 1407-II-16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-5-16.	1– आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए।मैने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण क्रमांक 100/अपील/2014–15 मे पारित आदेश दि. 29/03/2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक ग्राम पंचायत द्वारा विधि–विरूद्ध रूप से अनावेदकगणों को जारी किए गए वंटन आदेश के विरूद्ध अपील ग्रामहित एवं शासन हित में प्रस्तुत की थी अपील के साथ अनावेदकगणों को पात्रता न होने तथा उनके पास पूर्व से भूमि होने तथा नाबालकी में भी वंटन किए जाने के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए थे जो इस न्यायालय में भी निगरानी के साथ संलग्न है किंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि वधित मान्य करते हुए निरस्त किए जाने से पारित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– मैंने आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में निगरानी एवं उसके साथ प्रस्तुत आदेश एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया जिसके अनुसार प्र.क.34/अ–19/1997–98 में आदेश दिनांक 30–06–1998 को नायब तहसीलदार बसारी द्वारा शासन के नाम उल्लेखित भूमि का वंटन किया गया है। आवेदकगणों में से एक ही परिवार के व्यक्तियों को भूमि का वंटन किए जाने के संबंध में खसरा पांचसाला की प्रति निगरानी के साथ प्रस्तुत की गई है उनके पास पूर्व से अन्य भूमि होने के दस्तावेज भी आवेदक की ओर इस न्यायालय में प्रस्तुत किए गए है। जबकि प्रश्नाधीन भूमि का वंटन भूमिहीन होने के आधार पर किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित वंटन आदेश की जानकारी ग्राम पंचायत बरेठी को	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

पूर्व से होने के आधार पर प्रकरण में बिना किसी जांच के प्रस्तुत अपील को अवधिवधित मान्य करते हुए प्रकरण समाप्त किया है जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में कुछ व्यक्तियों का वंटन मात्र 12 वर्षो की आयु होने का उल्लेख किया हैं ऐसी स्थिति में जहां शासन का एवं ग्राम बासियो का हित निहित हो वहां समय सीमा महत्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती इस कारण पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ।

4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/02/2016 तथा नायब तहसीलदार वसारी द्वारा किया गया वंटन आदेश दिनांक 30—06—1998 निरस्त करते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार बसारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक एवं समस्त अनावेदकगणों को आहुत कर उन्हें पक्ष समर्थन का हेतु सुनवाई का अवसर देते हुए, दखल रहित अधिनियम के तहत 02—10—1984 में कब्जा होने, तथा भूमिहीन होने, एवं परिवार के मात्र एक सदस्य के नाम वंटन की पात्रता के संबंध में समुचित जांच किए जाने के उपरांत प्रकरण का निराकरण पुनः करें। आदेश की प्रति नायब तहसीलदार बसारी को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य